

25/03/2011

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20/3/11	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जासी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वस्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 9.4.11 का पेश हों।</p>	
9.4.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीतासीन अधिकारी महोदय आज 9.4.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7/5/24 को पेश हो।</p>	
7.5.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुभारंभ होकर कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प सुन्झान)</p>	